उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-3

संख्या-2564 (।।)/9-3-21 5सी / 2021

लखनऊ, दिनांक: 16 दिसम्बर, 2021

कार्यालय - ज्ञाप

उत्तर प्रदेश जल निगम के बढ़े हुए कार्यभार के कारण तथा राज्य में ग्रामीण जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था से सम्बन्धी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से उ०प्र० जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 में संशोधन करते हुए विधायी विभाग के अधिसूचना संख्या-800/79-वि-1-21-1-क-29-21, दिनॉक 24.08.2021 द्वारा उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था संशोधन अधिनियम, 2021 निर्गत किया गया। यथासंशोधित अधिनियम के प्राविधानानुसार उत्तर प्रदेश जल निगम का उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के रूप में विभाजन हो गया है। नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या-1770 / 9-3-21-05सी / 2021, दिनॉक 09.09.2021 द्वारा उक्त संशोधित अधिनियम के प्राविधानों को दिनॉक 09.09.2021 से प्रवृत्त किया गया । उ०प्र० जल निगम की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की रूपरेखा एवं विसंगतियों के निवारण हेतु कार्यालय आदेश संख्या - 1781/9-3-21-05सी/2021, दिनांक 13 सितम्बर, 2021 द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में हुए विनिश्चय के अनुसार एतद्द्वारा परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के विषय में निम्नवत् निर्णय लिये जाते हैं:-

(i) जल निगम के मुख्यालय स्थित भवनों में से ब्लाक-ए, ब्लाक-डी, ब्लाक-ई, पास तथा ब्लाक - बी, पास अनन्तिम रूप से अध्यक्ष आवास तथा स्टोर उ०प्र० जल निगम (नगरीय) के ब्लाक - सी तथा प्रयोगशाला भवन उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के रहेगा। मुख्यालय की भूमि / सम्पत्ति के स्वामित्व का विभाजन न करते हुये उभय निगमों के प्रबन्ध निदेशकों द्वारा संयुक्त रूप से इसका संचालन एवं अनुरक्षण किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ii) उ०प्र० जल निगम (सी०एण्ड डी०एस०), संशोधन अधिनियम, 2021 के द्वारा उ०प्र० जल निगम (नगरीय) में रखे जाने के कारण उ०प्र० जल निगम (सी0 एण्ड डी०एस०) के लखनऊ स्थित मुख्यालय भवन को उ०प्र० जल निगम (नगरीय) को आवंटित किया जाता है ।

(iii) लखनऊ नगर की आवासीय कालोनियों एवं फील्ड हास्टल का प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) तथा प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा आपसी सहमति से इनका अनुरक्षण एवं संचालन व्यावहारिक एवं आवंटन नीति निर्धारण करते हुए किया जायेगा ।

(iv) जल जीवन मिशन के जल गुणवत्ता एवं अनुश्रवण निगरानी कार्यक्रम की परियोजनाओं के सुगम संचालन के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम की 27 नग प्रयोगशालाओं को उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) में समाहित किया जाता है।

(v) उ०प्र० जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम - 2021 में निहित प्राविधानों के अनुसार योजनाओं के कार्य उस निगम के अधीन खण्ड कार्यालय द्वारा कराये जायेंगे, जिस निगम के अधिकारिता क्षेत्र से वह योजना / क्षेत्र आच्छादित होता है।

तदनुसार उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा अमृत कार्यक्रम एवं नगर विकास विभाग के राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नगरीय पेयजल / जलोत्सारण योजनाओं से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन किया जायेगा । इसी प्रकार ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं नमामि गंगे योजना से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा किया जायेगा।

(vi) झाँसी- बबीना जलापूर्ति योजना एवं झाँसी जल आपूर्ति संवर्धन योजना के माध्यम से अधिकांश नगरीय क्षेत्र में जलापूर्ति किए जाने तथा झांसी जल संस्थान भी नगर विकास विभाग के अधीन होने के आधार पर झाँसी- बबीना जलापूर्ति पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण एवं संचालन नगर विकास विभाग के नियंत्रणाधीन उ०प्र० जल निगम (नगरीय) के द्वारा किया जाएगा ।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

डा० रजनीश दुबे
अपर मुख्य सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनॉक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण पेयजलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), उ०प्र० शासन |
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), उ०प्र० शासन ।
4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
5- निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
6- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)
उप सचिव,

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।